>

Title: Need to restore the allocation of rice and wheat from Central Pool to APL card-holders in Chhattisgarh.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): छत्तीसगढ़ द्वारा ए0पी0एल0 राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिस हेतु प्रतिमाह 93,000 मी. टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार से ए0पी0एल0 योजना हेतु 15,000 मी0 टन गेहूं और 10,360 मी0 टन चावल प्राप्त हो रहा है। किंतु, वर्ष 2006-2007 तक प्रतिमाह 61,000 टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे घटाकर वर्तमान में मात्र 10,360 मी0 टन कर दिया गया है। उक्त कटौती वर्ष 2006-2007 में सैंट्रल पूल में कम खाद्यान्न उपार्जन के कारण की गई थी, किंतु उसके बाद के वर्षों में रिकार्ड उपार्जन सैंट्रल पूल में किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खरीदे गये गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को उसके आवश्यकता के अनुसार ए0पी0एल0 कार्डधारियों हेतु खाद्यान्न का आबंटन किया जाना चाहिए एवं उसे पूर्व निर्धारित आबंटन, जो कि 61000 टन चावल और 32000 गेहूं था, के अनुसार सैंट्रल पूल से खाद्यान्न जारी किया जाना चाहिए।